नियुक्ति न होने पर बिदाई समारोह में कहा था ''यह जनता तय करे कि उनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं हुई'' उन्होंने आगे कोलेजियम द्वारा जजों की नियुक्ति पर कहा कि यदि किसी जज की वरीयता को नजरअंदाज किया जाता है तो उसके लिए कारण बताया जाना चाहिए। उनकी इस अवधारणा को मजबूती प्रदान करते हुए देश के कई अन्य मुख्य न्यायाधीशों एवं न्यायविदों ने कहा कोलेजियम द्वारा जजों की नियुक्तियों में योग्यता को तरजीह न देकर सौदेबाजी होती है।

जजों की Opaque नियुक्ति प्रणाली पर संसद की स्थायी समिति के Views कुछ इस प्रकार हैं-

"The closed system prevailing now is not getting meritorious persons called to the Bench... till the warrant of appointment is issued by the president, it is maintained as secret. It is the democratic principle. Committee further said that aspirants name merits and the selections process shall be made public and transparent."

न्याय देने की पद्वति (Justice Delivery system) में वकीलों व जजों दोनो की honesty व Integrity का बहुत अहम रोल है शायद यही कारण था कि वकालत को Noble profession व जजों को 'My Lords' कहा गया। इसलिए जजों की नियुक्ति में Entry Point (विचार के लिए नामों के चयन) पर ही सबसे अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।

आज जब देश में भ्रष्टाचार विकराल रूप धारण कर चुका है, जिसे कानूनी अस्त्र प्रहार से ही परास्त किया जा सकता है जिसके लिए सक्षम कानून, पारदर्शी न्याय प्रणाली तथा इमानदार, निष्पक्ष फैसला देने वाले जजों की आवश्यकता है। हमारे संवधान में न्यायपालिका का Concept अमेरिका से लिया गया है जहाँ १९वीं सदी से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति सीधे बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के की जाती है जबकि हमारे यहाँ जजों की नियुक्ति प्रक्रिया न सिर्फ अपारदर्शी है बल्कि उसमें घनघोर राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है।

जजों की नियुक्ति में इन्हीं विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों/भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए हर संभव कोशिशें होती हैं इसको जन सामान्य तो छोड़िये इसके आधार स्तम्भ वकील भी न जान पाये कि किन-किन के नामों पर विचार हो रहा है, न जान पाये कि किस Criteria पर विचार हो रहा है।

अपारदर्शिता (गोपनीयता) भ्रष्टाचार की जननी है इस बात से प्रमाणित होती है कि दुनिया के दस भ्रष्टतम देशों में किसी में भी सूचना का अधिकार नहीं है जबकि दस सबसे इमानदार देशों में नौ में अधिकार की आजादी है। संवैधानिक संस्थाओं में पारदर्शिता के अभाव में ही भ्रष्टाचार की जड़े फैल चुकी हैं। नियुक्ति के पहले नामों को गोपनीय रखने का कारण भी शायद यही है कि एक बार नाम चले जाने और वारंट जारी हो जाने के बाद फिर कोई कुछ नहीं कर सकता।

अभी बार से नियुक्ति के लिए एक योग्यता है कि वकील का दस वर्ष पुराना इन्रोलमेण्ट 'Right to practice' का होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि १० वर्ष के इन्रोलमेण्ट वाले तो हजारों वकील हैं उनमें से किसको चुना जा रहा है इसके लिए मापदण्ड निर्धारित करना आवश्यक है। बिना Criteria निर्धारित किए नामों को अग्रसारित करना Arbitrariness की श्रेणी में आता है। इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति अगर बिना Criteria निर्धारित किये होती है तो यह असंवैधानिक नियुक्ति की ही श्रेणी में आयेगी।

आज उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के नियुक्ति मण्डल (कोलेजियम) की नियुक्ति प्रक्रिया 'Tap on the Shoulder Method' पर आधरित है जो न सिर्फ गोपनीय है बल्कि गैर जवाबदेह भी है और इसी का फायदा उठाते हुए एक बार फिर केन्द्र सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में लेने के लिए हाथ पैर मार रही है जो इसके लिए नुकसादेह है।

अब यदि इस संवैधानिक संस्था में जन विश्वास की बहाली करनी है तो जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाना होगा इसके लिए आवश्यक है-

- नियुक्ति की व्यवस्था चाहे जिसके हाथ में हो पारदर्शी हो।
- चयन प्रक्रिया व मापदण्ड का निर्धारण हो तथा उसका व्यापक प्रसार-प्रचार करते हुए इण्टरनेट पर डाला जाए।
- Desired Deserving Candidates से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करके उसको इण्टरनेट पर डाला जाय।
- Candidates के बारे में जो आपत्तियाँ आयें उनकी एक स्वतंत्र जाँच समिति बनाकर जाँच हो उसके बाद ही उनके नामों पर विचार हो।
- नाम को नियुक्ति के लिए अग्रसारित करने या अस्वीकृत करने का कारण बताया जाय।
- चयन का आधार सिर्फ निर्धारित मापदण्ड हो।
- Discretions को कोई जगह न दी जाय।
- Deserving की Desirability को Eligibility की Criteria के निकस पर कसकर ही Suitability माप कर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाय। ❑

नियमानुसार अनाज मिले : कोर्ट

लखनऊ। सरकारी कोटे की दुकान से एपीएल कार्ड धारक को अनाज नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। तल्ख टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि अगर आरोप सही हैं तो यह सरकारी तंत्र के लिए बेहद अफसोसनाक स्थिति है। यह समझ से परे है कि अफसर गरीबों को १० किलो गेहूं और नौ किलो चावल भी मुहैया नहीं करा सकते। ऐसे में आखिर समाज के निचले तबके के लोग कैसे गुजारा कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि अगर कोई अफसर अपने कर्तव्यपालन में नाकाम रहता है तो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। यहां तक कि उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है। साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को हफ्तेभर में यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया हर एपीएल व बीपीएल कार्डधारक को नियमानुसार अनाज मिले। जस्टिस देवी प्रसाद सिंह व जस्टिस महेंद्र दयाल की खंडपीठ ने यह फैसला व आदेश सीतापुर के इकलाख अहमद की रिट मंजूर करते हुए सुनाया। एपीएल कार्डधारक इकलाख ने सरकारी कोटे की दुकान से १० किलो गेहूं व ६ किलो चावल न मिलने पर अदालत की शरण ली। उसका आरोप है कि पैसा जमा करने के बावजूद कोटेदार ने उसे अनाज नहीं दिया।

न्यूजीलैंड में हत्यारोपी भारतीय को उम्रकैद

मेलबर्नः भारतीय मूल के ४७ वर्षीय राजेश्वर सिंह को पत्नी की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सिंह ने अलग रह रही रही पत्नी की उस समय हत्या कर दी थी, जब वह जमानत पर था।

वेलिंगठन में हाईकोर्ट ने राजेश्वर को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा कि कम से कम १६ साल तक उसे कोई पैरोल नहीं मिलेगी। इसके अलावा उसे तीन महीने की जेल सुरक्षा आदेश का उल्लंघन करने के लिए काटनी होगी। पत्नी ने अदालत से पति के खिलाफ सुरक्षा का आदेश ले रखा था।

पेशे से टैक्सी चालक राजेश्वर को मई में पत्नी स्वर्णलता की हत्या और दो बार सुरक्षा का आदेश तोड़ने के आरोप में अदालत ने दोषी ठहराया था। पिछले साल नवंबर में उसने पत्नी को चाकू से गोदकर मार डाला था। उस समय वह पहली बार इस सुरक्षा आदेश का पालन न करने के मामले में जमानत पर था।

अदालत के सुरक्षा आदेश के तहत उसे पत्नी को देखने और उसके घर के आसपास फटकने की पूरी तरह से मनाही थी लेकिन वह लगातार वहीं पर मंडराता रहा और आखिरकार उसकी हत्या कर दी।

प्रदेश भर के वकीलों का बनेगा एडवोकेट रोल

इलाहाबाद। प्रदेश की जिला अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों का एडवोकेट रोल बनेगा ताकि अदालतों में फर्जी और अवैध लोगों का वकील के वेश में प्रवेश रोका जा सके। हाईकोर्ट ने को इस संबंध में व्यापक आदेश दिया है। दीपक कुमार पांडेय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिए।

पीठ ने हाईकोर्ट परिसर में थूकने पर जुर्माने की राशि को बढ़ा कर दो सौ रुपये कर दिया है। साथ ही कोई वकील या अन्य पांच बार ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसका कोर्ट परिसर में प्रवेश एक सप्ताह के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। बार की ओर से सुझाव आया कि लखनऊ बेंच में नियम है कि कोर्ट परिसर में थूकने पर दो सौ रुपये जुर्माना लिया जाता है इसे देखते हुए यहां भी यही व्यवस्था लागू कर दी गई है।

खंडपीठ ने कहा कि न्यायपालिका भी आतंकियों के निशाने पर है। लखनऊ बेंच की रेकी हो चुकी है और कई कचहरियों में बम विस्फोट की घटनाएं हो चुकी है। हाईकोर्ट के वकीलों को परिचयपत्र जारी करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि यही व्यवस्था जिला अदालतों के लिए भी लागू की जाए।

लखनऊः सेंट्रल बार की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ समारोह बार के राजेन्द्र प्रसाद सभागार में हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने अध्यक्ष उमाशंकर श्रीवास्तव को शपथ दिलाइ। विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति रविन्द्र सिंह ने महासचिव अखिलेश जायसवाल को शपथ दिलाई। इसके बाद अध्यक्ष ने कार्य कारिणी को शपथ ग्रहण कराया। इस अवसर पर प्रशासनिक न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार हमारे घरों में भी घुस गया है। इस पर सभी को अंकुश लगाना होगा। न्यायमूर्ति ने भ्रष्टाचार के लिए अशिक्षा को जिम्मेदार बताया। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह एवं एडवोकेट गौरव भाटिया अतिरिक्त महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।